अपील सूचना अधिकार संख्या 47/2020 (GCMS 2020/00083) सुभाष गोयल पुत्र श्री राम कुमार निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी, एस.डी.एम. श्रीगंगानगर

10.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुभाष गोयल अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2020 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दो बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.01.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

क. कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एस.डी.एम. श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक ई आर ओ/गंगा/निर्वा/2015–16/1638 दिनांक 26.08.2015 की प्रमाणित प्रति।

ख. कार्यालय अध्यक्ष पदेन उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति एवं उपखण्ड अधिकारी का पत्रांक एस.डी.एम/गंगा/उपखण्ड स्तरीय बैठक/सतर्कता/पी ए/2013/400 दिनांक 24.04.2013 श्रीगंगानगर की बैठक कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूकाआ/2020/624 दिनांक 20.07.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख 1 में वांछित पत्रांक ईआरओ/गंगा/निर्वा/2015—16/1638 दिनांक 26.08.2015 की प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 का जवाब उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार दिया जा चुका है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है परन्तु बिन्दु संख्या 02 के बारे में उनके द्वारा कोई निर्णय लिया गया है अथवा नहीं का उल्लेख नहीं किया है जबकि जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत तीस दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 निम्नानुसार है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप—धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा:

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को बिन्दु संख्या 02 पर प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 02 के सम्बन्ध में निर्णय प्राप्ति के सात दिवस में निर्णय लेकर प्रार्थी को सूचित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:44 IST
Reason: SelfAttested